गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

(ISO-9001:2015 एवं ISO-14001:2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के **राजस्व ग्राम मोरटा, परगना जलालाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 256 मि. क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्ग मीटर तथा खसरा संख्या 259 व 260 में** गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से लेआउट प्लान/बिल्डिंग प्लान की अनुमति प्राप्त किये बिना श्री अंकित त्यागी पुत्र श्री ब्रह्म त्यागी नि. ग्राम दुहाई, तहसील व जिला गाजियाबाद, हाल निवासी आर 2/67, राजनगर, गाजियाबाद द्वारा कृषि भूमि पर अवैध निर्माण/अवैध औद्योगिक प्लाटिंग की जा रही है तथा अवैध रूप से विकसित औद्योगिक भूखण्ड आदि विक्रय किये जाने के संबंध में बुकिंग आदि के माध्यम से प्रचार व प्रसार किया जा रहा है। प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूखण्ड/फ्लैट आदि का क्रय-विक्रय किया जाना पूर्णतः अवैध एवं विधि विरुद्ध कृत्य होने के साथ-साथ जनसामान्य के साथ धोखाधड़ी एवं कपटपूर्ण व्यवहार है। विकासकर्ता श्री अंकित त्यागी के विरुद्ध उ. प्र. शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 08.07.2020 को जारी किया गया है तथा इसके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही दिनांक 20.07.2020 को की गई है। उ. प्र. शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सीलिंग किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 में दिये गये प्राविधानों एवं सुसंगत व्यवस्थाओं के अधीन प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था/फर्म को प्राधिकरण से बिना अनुमति एवं अनुमोदित मानचित्र के अनुसार स्कीम/योजना द्वारा प्लॉट के माध्यम से विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उनके द्वारा इस प्रकार का क्रय-विक्रय किया जाता है तो वह पूर्णरूप से अवैध है।

अतः जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि वे प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में भूखण्ड/भवन का क्रय/विक्रय करने से पूर्व प्राधिकरण से नक्शा पास होने एवं योजना की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त कर लिये जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही क्रय करने की कार्यवाही करें। इस प्रकार के कृत्य से किसी भी हानि व धोखाधड़ी के लिये क्रेता एवं विक्रेता दोनों उत्तरदायी होंगे। प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विशेष कार्याधिकारी

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, : @gdagzb, : @gdagzb

हेल्पलाइन नं. : 0120-3342433, व्हाट्सअप : 9818988807, वेबसाइट : www.gdaghaziabad.com

एक सुन्दर शहर ..... हमारा संकल्प